International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्राचीन भारत में नारियों को सम्पत्ति का अधिकार

डॉ0 अजयपाल सिंह
विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर
इतिहास विभाग, एस0डी0 (पी0जी0) कॉलेज,
मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)।

अजीत कुमार
शोध छात्र
इतिहास विभाग
एस0डी0 (पी0जी0) कॉलेज,
मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)।

प्राचीन भारतीय हिन्दू समाज में नारियों को उनकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सम्पत्ति–विषयक अधिकार प्रदान किया गया। आर्थिक स्थिति के साथ–साथ उन विशेष परिस्थिति का भी उल्लेख किया गया है जिसके कारण वे सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करती थी। वैदिक काल के प्रारम्भ से ही नारियों को सम्पत्ति का अधिकार रहा है। परिवार में वह पुत्र से किसी भी प्रकार से कम महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती थी। इस काल में पुत्री को दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ माना गया है।[1]

वैदिक काल अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त है जिसके द्वारा यह कह सकते हैं कि इस काल में नारियों को सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार था। चौथी शताब्दी ई0पू0तक आते–आते अनेक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। इसी क्रम में दूसरी शताब्दी ई0पू0 तक आते–आते नारियों के शैक्षिक जीवन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये गये, जिसके फलस्वरूप नारियों का सम्पत्ति का अधिकार भी प्रभावित हुआ। जिन्होंने भाई के न रहने पर भी बहन के उत्तराधिकार को नहीं स्वीकार किया। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में यह उल्लेख मिलता है कि उत्तराधिकारी के अभाव में पुत्री उत्तराधिकारी हो सकती है। यद्यपि उसने पुत्री को उत्तराधिकारी स्वीकार

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

करते हुए भी सारी सम्पत्ति धर्म कार्य में लगा देने के लिए निर्देश दिया है।[2] प्राचीन भारतीय समाज में नारियों द्वारा शासन संचालन किये जाने के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्हें पुरूषों के समान राज्य का सर्वेसर्वा समझा जाता था। राज्य के सम्पूर्ण संपत्ति पर शासिका का ही प्रभुत्व था। महाभारत में नारियों को पुरूषों के समान बताया गया है। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में पुत्री को उत्तराधिकारी बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्कय स्मृति में पुत्री के अधिकार को अधिक विकसित किया है और यह उल्लेख मिलता है कि पुत्र तथा विधवा के अभाव में पुत्री उत्तराधिकारी होगी। वृहस्पति स्मृति तथा नारद स्मृति में उल्लेख आता है कि पुत्री अपने पिता की पुत्र के समान सन्तान है फिर भी पुत्र के न होने पर उसके उत्तराधिकार को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है।[3] अनिवार्य रूप से पुत्र के रहते हुए भी पुत्री का सम्पत्ति में अधिकार वैदिक का से रहा है। पुत्री के सम्पत्ति विषयक अधिकार का उल्लेख निम्नलिखित है–

अमाजूरिव पित्रोः सचा सती समानादा सदसस्त्वामिये भगम्।

कृधि प्रकेतनुप मास्या भर दद्धि भागं तत्वा येन भामहः।।

नारियों के विधवा होने पर भी उन्हें संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु वैदिक साहित्य में विधवा का सम्पत्ति में अधिकार नहीं स्वीकार किया गया है। वैदिक काल के बाद विधवा को सम्पत्ति विषयक अधिकार दिये जाने का समर्थन किया गया पति की मृत्यु के बाद विधवा को ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

माना गया। तीसरी शताब्दी ई0पू0 तक विधवा को संपत्ति संबंधी अधिकार को मान्यता नहीं मिल पायी थी। प्रथम शताब्दी के विधि ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यदि विधवा पुनर्विववाह नहीं करती है या नियोग प्रथा द्वारा पुत्र नहीं उत्पन्न करती ह तो उसके भरण–पोषण के लिए प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि विधवा को पति के सम्पत्ति में हिस्सा प्रदान किया गया। कौटिल्य ने सम्पत्ति में विधवा के हिस्सेदार बनाये जाने का समर्थन किया। गौतम ने सपिंडो, गोत्रियों और संबंधियों के साथ विधवा को एक समान हिस्सेदार माना हैं विष्णु का भी मत है कि पुत्रों के अयोग्य होने पर सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी विधवा होती थी। इनका विवरण इस प्रकार है–

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा।

तत्सुता गोत्र बंधु शिष्यसब्रह्म चारिणः।।

एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः।

स्वर्यातस्थ ह्ययपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः।।[4]

विवाह के समय नारियों को जो सम्पत्ति पिता तथा अन्य संबंधियों द्वारा प्रदान किया जाता था उसे ही धर्मशास्त्रों में स्त्री–धन कहा गया। विवाह के बाद पति के साथ जाते समय प्राप्त सम्पत्ति को अध्यावहनिक स्त्री–धन कहा गया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नारियों की अपनी स्वयं की सम्पत्ति, जिस पर उनका पूर्ण स्वामित्व हो, वह स्त्री–धन कहा जाता है। मनु के मतानुसार वैवाहिक

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति के घर जाते समय मिलता है, जो स्नेहवश उसे दिया जाता है, जो माता–पिता और भाई से मिलता है, वह सब स्त्रीधन है जिसके छह प्रकार है।

अध्यग्न्यध्यावाहनिक दत्तं च प्रति कर्मणि।

भातृ मातृ पितृ प्राप्तं षडविधं स्त्रीधनं स्मृतम्।।[5]

असुर विवाह में अभिभावक द्वारा कन्या के निमित्त जो सम्पत्ति ली जाती थी, वह सम्पत्ति भी स्त्री–धन के अन्तर्गत आता था। धीरे–धीरे स्त्री धन के आवरण में और सम्पत्ति आने लगी तथा पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इसी स्त्री–धन में समाविष्ट हो गयीं थेरीगाथा से विदित होता है कि धर्म दित्रा को उसके पति ने यह निर्देश दिया था कि अपने माता–पिता के यहाँ जाते समय अपनी इच्छानुसार सम्पत्ति साथ ले जाएं। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार क सम्पूर्ण सम्पत्ति में नारी का भी हिस्सा होता था जिसको वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकती थी। यही नहीं, पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी नारी को उसके स्त्री–धन से वंचित नही किया जा सकता, इसका रोचक उल्लेख मनु ने अपने स्मृति ग्रंथ में किया है–

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति मानवाः।

नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्तधोगतिम्।।

गुप्त काल क बाद स्त्रीधन का क्षेत्र अत्यधिक विकसित हो गया। देवल स्मृति में जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त धन और लाभ को भी स्त्री–धन के अन्तर्गत शामिल

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कर दिया गया। विज्ञानेश्वर ने आदि शब्द से पिता से दहेज के रूप में मिली संपत्ति, खरीदी हुई सम्पत्ति बॅटवारे से मिली संपत्ति और जिस पर पर्याप्त समय तक अधिकार रहने के कारण स्वामित्व हो गया हो– ऐसी सभी संपत्ति को स्त्री धन में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार राजपूत काल तक स्त्रीधन का क्षेत्र अत्यधिक विकसित एवं विस्तृत हो गया। अधिकांश भाष्यकार विज्ञानेश्वर के विचारों से सहमत थे। उन्होंने नारियों के प्रति उदारता की भावना का पक्ष लिया। विज्ञानेश्वर के अनुसार विधवा स्त्री को अचल संपत्ति बेचने का अधिकार संबंधी विचारों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। संभवतः विज्ञानेश्वर के विचारों से यह बात प्रमाणित होती है कि विधवा नारी अचल संपत्ति को अपनी पुत्री को दे सके क्योंकि उसने स्पष्ट लिखा है कि स्त्री धन पुत्रियों को मिलना चाहिए, उनमें से भी पहले उस पत्री को धन मिलना चाहिए जिसका विवाह न हुआ हो और उसके बाद विवाहित पुत्रियों को।[6]

महाभारत काल में भी पुरूष, नारी को अपनी अस्थायी संपत्ति मानता था, इसीलिए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। धर्मसूत्रकार पति और पत्नी दोनों को संपत्ति का संयुक्त स्वामी कहते हें। इसका आशय है कि पति के अनुपस्थिति में चल सम्पत्ति में से पत्नी आवश्यक रूप से धन खर्च सकती थी। याज्ञवलकय का निर्देश है कि यदि पति, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे तो राजा पत्नी को पति की अचल सम्पत्ति का तिहाई भाग दिलवाये किन्तु समाज ने पत्नी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

के इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया। स्त्री–धन के विषय में मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि पत्नी को पति की अनुमति लिये बिना अपनी संपत्ति का कोई भाग किसी को नहीं देना चाहिए।[7] कात्यायन स्मति में स्त्री धन को दो भागों में विभाजित किया गया है पहला सौदायिक तथा दूसरा असौदायिक। माता, पिता व पति द्वारा दिये गये उपहारों को वे सौदायिक कहते हैं। इस पर पत्नी का पूर्ण अधिकार था और वह इन्हें चाहे किसी को दे सकती थीं परनतु अन्य माध्यम से प्राप्त धन असौदायिक कहलाता था जिसे पत्नी को किसी को देने का अधिकार नहों था।

ऋग्वैदिक काल मे नारियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। धार्मिक आयोजनों में भी पुरूषों के साथ–साथ नारियों की भी सक्रिय भागीदारी रहती थी। ब्रह्मवादिनी नारियों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। अपाला नामक बह्मवादिनी नारी द्वारा अपने पिता आत्रि के सम्पत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त किये जाने का उल्लेख मिलता है। नारियाँ सभा व समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट दर्ज की गयी। स्मृतिकारों ने नारियों के सम्पत्ति के अधिकार का विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने विधवा को समपत्ति का अधिकार दिये जाने की वकालत किया है। बौद्ध काल में अनेक धनी नारियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। स्त्री–धन का विचार उत्पन्न हुआ और धीरे–धीरे

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, Jan 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसका क्षेत्र विकसित होता गया।

मौर्योत्तर कालीन स्मृतिकार मनु ने मनु स्मृति में नारियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकार का विश्लेषण किया है। उन्होंने स्त्रीधन पर नारियों का अधिकार माना है। वस्तुतः सभी स्मृतिकार स्त्री धन पर नारियों का अधिकार मानते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना पुत्र के हो जाती है तो उसकी सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार उसकी पत्नी का होगा। नारियों को सम्पत्ति का अधिकार दिया था और उन्हें अपनी इच्छानुसार खर्च करने का भी अधिकार था। गुप्त काल तक आते–आते नारियों के धन सम्पत्ति अधिकार सैद्धान्तिक रूप से बना रहा, परन्तु व्यवहारिक रूप समाप्त हो गया। नारियों को सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष करना पड़ा और इन्हें भी पुरूषों की सम्पत्ति के रूप में दर्शाया गयाउच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा शासन सत्ता का संचालन भी कुशलता पूर्वक किया गया। राज परिवार की महिलाओं का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे और वे राजा की सम्पत्तिको अपने व्यक्तित्व के विकास में उपयोग कर सकती थीं परन्तु जनसाधारण में नारियों की स्थिति पहले ज्यादा दयनीय हो गयीं राजपूत काल में भी अनेक नारियों को असीमित अधिकार प्रदान किये जाने का प्रमाण मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. ऋग्वेद, 7.4.8

   न हि ग्रभायारण, सुशेवोऽन्योदय्रे मनसा मन्तवा उ।

2. आपस्तंभ धर्म सूत्र, 2.14, 2–4

   पुत्रा भावे यः प्रत्यासन्न सपिण्डः। तदभावे आचार्यः।

   आचार्याभावे अन्तेवासी ह्रत्वा धर्मकृत्येषु योजयेत। दुहिता वा।।

3. वृहस्पति स्मृति, 15.35 तथा नारद स्मृति, 13.50

4. विष्णु धर्म सूत्र, 2.135–6

5. मनु स्मृति, 9.194

6. विज्ञानेश्वर टीका, याज्ञवल्क्य, 2.145

7. मनुस्मृति, 9.99